

दिनांक आज या  
कार्यवाही

पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान वकील  
उप-पत्रावली वास्तु 11/11/2019  
दिनांक 13/11/2019 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
फार्मी

13/11/2019

पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान वकील उप-  
पत्रावली आस्थाई निषेधाज्ञा पर वकील  
प्राथमिक को बहस सुनी गई। पत्रावली  
का अवलोकन किया गया। अवलोकन  
करने पर पाया कि वाड तडासमा व  
स्थाई निषेधाज्ञा का ही पत्रकारान के  
एक व अधिकार मूलवाद में तब किए  
जाने हैं इस प्रकार पत्रकारान में  
अनाशयक विवाद नहीं बड़े एव वाड  
बहुलता नहीं है इस किन्तु के मध्यमजर  
प्राथमिक का पत्र आस्थाई निषेधाज्ञा  
स्वीकार किया जाकर इस-आयालय के  
आडिस दिनांक 5.7.2019 को मूलवाद  
के निलवारडा तक क-फर्ष किया जाता  
है। पत्रावली केसल शुमार होकर  
द्विनं. से का ही फार्मिल 4 फरवर 2019

उपखण्ड अधिकारी  
फार्मी